प्रेस नोट

दिनांक 11.10.2021

थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे का अनावरण कर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्तियो एवं वांछितो की गिरफ्तारी के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदय जयसिंहपुर के कुशल निर्देशन में थाना गोसाईगंज की एक पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया ।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि करीब 20 दिन पहले बिड्ठलपुर मे जो चोरी हुई थी चोरी का सामान लेकर व्यक्ति कनौली से महिलोआशापुर की तरफ से आ रहा है। । इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर देखा कि कनौली की तरफ से एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी मे कुछ सामान लेकर आता हुआ दिखाई दिया पुलिस ने दोनो तरफ से घेरकर एक बारगी दबिश देकर व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया व पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शिव सहाय विश्वकर्मा पुत्र रामदास विश्वकर्मा उम्र करीब 42 वर्ष नि0ग्राम विट्ठलपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर बताया । पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मै शराब व गांजा पीने का आदी हूँ, इसलिए मै अपने गांव के शिवसागर वर्मा के खेत मे लगी ट्यूबेल से उक्त सामान को 20 दिन पहले चुराया था । चुराये गये सामान के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 598/2021 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त सामान के बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी व अभियुक्त शिव सहाय विश्वकर्मा पुत्र रामदास विश्वकर्मा उम्र करीब 42 वर्ष नि0ग्राम विट्ठलपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 380/411 भादवि मे मा0 न्यायालय सुलतानपुर को भेजा गया ।

अभियुक्त का नाम

शिवसहाय पुत्र रामदास नि0 बिड्ठलपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर

बरामदगी -

1. ट्यूबेल मे लगने वाला एक पुलि
2. चारा काटने वाली मशीन मे लगने वाला एक नेशुआ
3. चारा मशीन का अन्य पार्ट

गिरफ्तारी का स्थान व समयः

कनौली मोड़ थाना गोसाईगंज समय 09.10 बजे

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1 उ0नि0 बबलू जायसवाल

2. हे0का0 शैलेन्द्र यादव

3. का0 ओम प्रकाश